# कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर

**प्रकाशनार्थ समाचार दिनांक 06.02.2017**

## 0 अनाधिकृत भवनों के नियमितिकरण हेतु यतियतन लाल, इंदिरा गॉधी, कालीमाता, रानी दुर्गावती, शहीद चूडामणी नायक, शहीद पंकज विक्रम, सदर बाजार, वीर सावरकर नगर वार्ड में विशेष शिविर लगाये गये, 7 फरवरी को 8 वार्डो में शिविर लगाये जायेंगे, बडी संख्या में नागरिक पहुंचे एवं नियमितिकरण हेतु आवेदन दिया 0

## 0 नागरिक नियमितिकरण करवाने आवश्यक दस्तावेज साथ में संलग्न करें– सभापति 0

रायपुर – आज रायपुर नगर निगम सीमा के तहत अनधिकृत रूप से विकसित भवनों का नियमितिकरण करने दिनांक 1 अगस्त 2016 से लागू छ.ग. अनधिकृत विकास का नियमितिकरण अधिनियम 2002 (संशोधन 2016) के तहत आवेदन प्राप्त करने जोन 1 के यतियतन लाल वार्ड क्रमांक 4 के परशुराम चौक गोवर्धन नगर, जोन 2 के इंदिरा गॉधी वार्ड क्रमांक 20 के शहीद स्मारक स्कूल जोन क्रमांक 2, जोन 3 के कालीमाता वार्ड क्रमांक 30 के खादी ग्रामोद्योग कार्यालय परिसर, जोन 4 के रानी दुर्गावती वार्ड क्रमांक 45 के पार्षद कार्यालय सांई मंदिर के पास, जोन 5 के शहीद चूडामणी नायक वार्ड क्रमांक 16 के रामकुंड मंच, जोन 6 के शहीद पंकज विक्रम वार्ड क्रमांक 50 के रविन्द्रनाथ टैगोर की मूर्ति के पास विवेकानंद नगर, जोन 7 के सदर बाजार वार्ड क्रमांक 39 के जोन 7 कार्यालय मालवीय रोड, जोन 8 के वीर सावरकर नगर वार्ड क्रमांक 1के पार्षद कार्यालय भवन हीरापुर रोड में लगाया गया। जोन 7 के सदर बाजार वार्ड शिविर का निगम सभापति श्री प्रफुल्ल विश्वकर्मा ने पहुंचकर निरीक्षण किया । वहीं जोन 3 कालीमाता वार्ड शिविर का निरीक्षण रायपुर उत्तर विधायक श्री श्रीचंद सुन्दरानी ने किया। सभापति श्री विश्वकर्मा ने नगर निगम नगर निवेश विभाग की ओर से अनधिकृत विकास के नियमितिकरण शिविर में आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर प्रस्तुत करने का आव्हान नागरिको से किया है। 7 फरवरी को सभी 8 जोनो के 1–1 वार्ड कुल 8 वार्डो में जनसुविधा हेतु नियमितिकरण शिविर लगाये जायेंगे। आज लगाये गये 8 वार्डो के नियमितिकरण शिविर में निर्धारित समय में बडी संख्या में नागरिको ने पहुंचकर अपने आवेदन अनधिकृत भवनों के नियमितिकरण हेतु निगम अधिकारियों को दिये।

सभापति श्री विश्वकर्मा ने जोन 7 शिविर स्थल का निरीक्षण करते हुए नगर निवेश विभाग नगर निगम की ओर से नागरिको से अनुरोध किया कि नगर निगम रायपुर क्षेत्र के नागरिक छत्तीगढ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण अधिनियम 2002 संशोधन 2016 के तहत नियमितिकरण करवाने हेतु अपने आवेदन के साथ शासन द्वारा निर्धारित आवश्यक दस्तावेज स्वामित्व संबंधी हक दस्तावेज स्वप्रमाणित रजिस्ट्री, खसरा, नक्शा, बी–1, पी–2, भूमि व्यपवर्तन यदि हो तो, भूमि का विवरण, नजरी नक्शा या लोकेशन प्लान, भवन मानचित्र बिल्डिंग प्लान 5 प्रतियां, निर्मित भवन का फोटोग्राफ्स 4 अलग–अलग दिशाओं से, रैन वाटर हार्वेस्टिंग/ सौर उर्जा संबंधित जानकारी, पूर्व स्वीकृत भवन हो, तो प्रति एवं मानचित्र, बिजली बिल – गैर आवासीय भवनों के लिए,

आर्किटेक्ट / इंजीनियर का घोषणा पत्र, राजस्व विभाग की अनापत्ति, नगर निगम की बकाया के संबंध में अनापत्ति अदेय प्रमाण पत्र, गूगल मानचित्र, रैन वाटर हार्वेस्टिंग का जियो हाईड्रोलाजिस्ट से प्रमाण पत्र एवं फोटोग्राफ्स 150 मीटर से अधिक के भूखण्डों पर लागू, संपत्ति कर की छायाप्रति, एआर का अंडरटेकिंग के आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने का कष्ट करे। सभापति ने निगम अधिकारियों से राज्य शासन के लोककल्याणकारी अधिनियम का अधिकाधिक संख्या में नागरिको को लाभ दिलवाकर अधिक से अधिक संख्या में शिविर में लोगो से आवेदन प्राप्त करना प्रशासनिक तौर पर प्राथमिकता बनाकर सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।

नगर निगम सभापति श्री विश्वकर्मा ने नगर निगम नगर निवेश विभाग की ओर से नागरिको को जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 7 फरवरी को जोन 1 के बंजारी माता वार्ड क्रमांक 5 के धनलक्ष्मी नगर, जोन 2 के राजीव गॉधी वार्ड क्रमांक 22 के टिम्बर भवन सेक्टर 2 देवेन्द्र नगर, जोन 3 के शंकरनगर वार्ड क्रमांक 31 के जोन 3 कार्यालय शंकरनगर पानी टंकी परिसर, जोन 4 के डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड क्रमांक 46 के अमलीडीह पानी टंकी के पास आंगनबाडी भवन, जोन 5 के ठाकुर प्यारे लाल सिंह वार्ड क्रमांक 60 के उमेश पाध्ये शासकीय शाला डंगनिया, जोन 6 के रविन्द्रनाथ टैगोर वार्ड क्रमांक 51 के गॉधी चौक सामुदायिक भवन देवपुरी, जोन 7 के मौलाना अब्दुल रउफ वार्ड क्रमांक 41 के मोतीबाग के बाजू सामुदायिक भवन, जोन 8 के रामकृष्ण परमहंस वार्ड क्रमांक 2 के विकास नगर में नियमितिकरण शिविर लगाये जायेंगे।

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर

प्रकाशनार्थ समाचार दिनांक 06.02.2017

## 0 स्वच्छ भारत मिशन – जोन 5 ने खो–खो पारा तालाब में खुले में शौच करते मिले नागरिक से 100 रू. जुर्माना वसूला 0

रायपुर – केन्द्र प्रवर्तित स्वच्छ भारत मिशन के तहत आज नगर निगम जोन 5 स्वास्थ्य विभाग ने सतत पर्यवेक्षण के दौरान जोन क्षेत्र के खो–खो पारा तालाब में खुले में शौच करते मिले नागरिक श्री संजय निषाद पर 100 रू. का जुर्माना लगाया । जोन स्वास्थ्य अधिकारी ने संबंधित नागरिक को दोबारा खुले में शौच करते मिलने पर हर बार दुगुनी राशि का जुर्माना करने एवं उसके बाद नहीं सुधरने पर पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाकर स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही वार्ड व नगर को स्वच्छ बनाने कडाई के साथ करने की स्पष्ट चेतावनी संबंधित नागरिक को दी एवं भविष्य में शौच हेतु सुलभ शौचालय का उपयोग करने की स्पष्ट हिदायत दी ।

# कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर

प्रकाशनार्थ समाचार दिनांक 06.02.2017

## 0 जोन 3 ने गोरखा कालोनी एवं अरमान नाला की विशेष सफाई अभियान पूर्वक करवायी एवं बडी मात्रा में कचरा बाहर निकालकर गंदे पानी का निकास सुगम बनाया 0

रायपुर – नगर निगम रायपुर के आयुक्त श्री रजत बंसल के निर्देश पर आज जोन स्तर पर जोन 3 स्वास्थ्य विभाग द्वारा सफाई मित्रों का विशेष गैंग भेजकर जोन के शंकरनगर वार्ड क्रमांक 31 में गोरखा कालोनी के बडे नाले और लाल बहादुर शास्त्री वार्ड क्रमांक 33 में आने वाले अरमान नाला की थ्रीडी व सफाई मित्रों को लगाकर जनहित में जनस्वास्थ्य सुरक्षा हेतु विशेष अभियान चलाकर सघनता से सफाई करवायी गयी। विशेष सफाई अभियान का गोरखा कालोनी नाला व अरमान नाला पहुंचकर जोन 3 कमिश्नर श्री महेन्द्रनाथ पाठक ने जोन स्वास्थ्य अधिकारी श्री चंद्रशेखर श्रीवास्तव की उपस्थिति में प्रत्यक्ष अवलोकन किया। नगर निगम जोन 3 स्वास्थ्य विभाग अमले ने सफाई मित्रों एवं थ्रीडी की सहायता से अरमान नाला के भीतर से बडी मात्रा में कचरा व गंदगी बाहर निकाली एवं उसका जोन स्तर पर तत्काल परिवहन करवाकर जनहित में जनस्वास्थ्य सुरक्षा हेतु स्वच्छता कायम की एवं सफाई संबंधी जनशिकायतों का त्वरित निदान स्वच्छ भारत मिशन के तहत किया।

# कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर

**प्रकाशनार्थ समाचार दिनांक 06.02.2017**

## 0 रायपुर को स्वच्छ शहर बनाने मोबाईल पर करे मिस काल 0

## 0 महापौर और आयुक्त ने की अपील 0

रायपुर – महापौर श्री प्रमोद दुबे एवं नगर निगम आयुक्त श्री रजत बंसल ने समस्त नगरवासियों से आव्हान किया है कि शहर को स्वच्छ बनाने हेतु चलाये जा रहे अभियान में नंबर एक बनाने हेतु मोबाईल पर मिस काल करे। इसके तुरंत बाद नागरिको से कुछ सवाल पूछे जायेंगे, जिसका जवाब रायपुर को स्वच्छता सर्वेक्षण में पूरे भारत भर में नंबर एक बना सकता है। इस तरह रायपुर को स्वच्छ शहर बनाने में शहरवासी भी सहभागी बन सकते है।

स्वच्छता सर्वेक्षण 2017 रैंकिंग के लिए चयनित 500 शहरों में से प्रथम स्थान पाने हेतु रायपुर शहर धरातल स्तर पर सफाई (प्रेक्टिकल) एवं दस्तावेज (**written**) की इम्तिहान दे चुका हैं, किंतु आज का आधुनिक युग, संचार क्रांति का है, अर्थात मोबाईल से फीडबैक कराने पर (**overall**) 600 अंक मिलेगा, जो कि रायपुर को 500 शहरों में प्रथम स्थान पाने हेतु अति आवश्यक है।

महापौर श्री दुबे एवं निगम आयुक्त श्री बंसल ने नगर निगम रायपुर की ओर से सभी नागरिको से अनुरोध किया है कि वे अपने मोबाईल फोन से अपने परिवार, जान पहचान, रिश्तेदार, पड़ोसी को टोल फ्री नंबर 1800111969 या 1969 में 12 फरवरी 2017 तक मिस काल करने कहे। ऐसा करने पर कुछ देर बाद आपको वापस फोन आयेगा जिसमें स्वच्छता संबंधी जानकारी पूछी जायेगी। महापौर श्री दुबे एवं आयुक्त श्री बंसल ने कहा कि ऐसा करके सभी नागरिक रायपुर को स्वच्छ शहर नंबर एक बनाने सहभागी बने।